



अभियान सजा का

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के द्वारा आपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 95 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2021 को अभि0 द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0-17/2021, धारा- 376,506 भादवि व 67 IT Act बनाम राकिब अली पुत्र मौ0 अहमद निवासी ग्राम शादी की मडैय्या थाना सिविल लाइन, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 06.09.2023 को मा0 न्यायालय ADJ/FTC 02, रामपुर द्वारा अभियुक्त राकिब अली उपरोक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 95 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त राकिब अली उपरोक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 95 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

राकिब अली पुत्र मौ0 अहमद निवासी ग्राम शादी की मडैय्या थाना सिविल लाइन, रामपुर।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @रामपुरपुलिस

 7839859826